जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी/2009/डी– 1139 दिनांकः 03/8/09

कार्यवाही विवरण

विषयः– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 81 वीं बैठक दिनांक 30.07.2009 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमे निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विवरण	निर्णय	अनुपालना
1.	81.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 80 वीं बैठक दिनांक 09.07.2009 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के कियान्विती की समीक्षा।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 80 वीं बैठक दिनांक 09.07.2009 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं कियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
2.	81.2	भूखण्ड संख्या–1, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर के व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 16.07.2009 के अनुसरण में तीन बेसमेंट की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि तीसरे बेसमेंट के निर्माण की बिना अनुमति की शास्ति भवन विनियम नियमबद्धता/नियमतिकरण नियम 1989 के अनुसार ली जावे। 2. आवेदक द्वारा भवन मानचित्र संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये है तथा वर्तमान में 15.0 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है अतः आवेदक से भी नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण लिया जावे। 3. संशोधित मानचित्र में साईड सैटबैक में	

			दर्शाये गये डबल हाईट वाटर टेंक व एसटीपी के क्षेत्रफल बाबत् आवेदक के वास्तुविद से रिपोर्ट मय आधारों के ली जावे जिसकी जांच अभियांत्रिकी शाखा के जलदाय विभाग से करवाया जावे यदि जलदाय विभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट में आवेदक के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है तो वाटर टेंक व एसटीपी को संशोधित मानचित्र में दर्शाये गये आकार के अनुरूप ही अनुमति दी जावे। 4. अपर बेसमेंट में दर्शित अर्थ फिलिंग भाग को आवेदक द्वारा मौके पर मिट्टी भरवाकर अर्थ फिलिंग भाग को बन्द करवाया जावे। जिसके संबंध में मौका निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर ही मानचित्र जारी किये जावे। 5. अपर बेसमेंट व मिडिल बेसमेंट में दर्शित ओपन कटआउट में आवेदक से डीजी सैट रूम व ए. सी. प्लांट रूम का स्पष्ट उल्लेख मानचित्रों में करवाया जावे। 6. संशोधित भवन मानचित्रों में की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।
3.	81.3	भूखण्ड संख्या 29, पामकोर्ट कोलोनी, जगतपुरा, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
4.	81.4	खसरा नम्बर 1009 व 2572/1010 ग्राम कलवाडा	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श

		जयपुर के सांस्थानिक समूह के प्रस्तावित व निर्मित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	पश्चात् समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:– 1. आवेदक मौके पर ई–1 ब्लॉक का भूतल व प्रथम तल तक तथा ई–2 ब्लॉक का बेसमेंट, भूतल व प्रथम तल तक का निर्माण बिना अनुमति प्राप्त किये ही किया गया है अतः भवन नियमबद्धता/नियमतिकरण नियम 1989 के अनुसार मौके पर निर्मित भाग की बिना अनुमति निर्माण की शास्ति ली जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।
5.	81.5	खसरा नम्बर 98, 101, 102, 105/2, 118, 122 से 125 129, 119,117, 120, 121 ग्राम फागोडियावाला, तहसील सांगानेर में विद्यालय के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्त के साथ विद्यालय के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.07.2009 को जारी किये गये आदेश की अनुपालना में संस्था से बैंक गारन्टी ली जाकर मानचित्र अनुमोदित किये जावें। बैंक गारन्टी का प्रारूप निदेशक (वित्त) के स्तर पर तैयार करवाया जावे जिसमें बैंक गारन्टी की अवधि जयपुर विकास प्राधिकरण के हित में पर्याप्त अंकित की जावे।
6.	81.6	भूखण्ड सं.ख्या जे–13 झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर के प्रस्तावित संस्थानिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:– 1. आवेदक के मानचित्रों में पैरामीटर्स स्थल मानचित्र व योजना मानचित्र के अनुरूप रखे जावे। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.06.2009 के अनुसार एफएआर 1.5 अनुज्ञेय किया जावे।

		—	2. भवन की ऊँचाई 30.0 मीटर रखते हुए मानचित्रों को संशोधित करवाया जावे। 3. प्रथम तल पर प्रस्तावित कवर्ड टेरेस को एफएआर में सम्मिलित किया जावे तदानुसार संशोधित मानचित्र लिये जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही संशोधित भवन मानचित्रों को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
7.	81.7	खसरा नम्बर 220, 226, 227, 228 व 232 ग्राम ठीकरीया तह. सांगानेर जयुपर में प्रस्तावित व आंशिक निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:– 1. मौके पर एक्वा ब्लाक, टरकिश ब्लाक व कोरल ब्लाक में फुटिंग, पिलर व कुछ भाग मै बेसमेन्ट की छत की सटरिंग की गई है एवं कुछ भाग पर छत बिना अनुमति प्राप्त किये डाली गई है अतः बिना अनुमति क्षेत्र की शास्ति भवन नियमति करण नियमबद्धता नियम 1989 के अनुसार ली जावे। 2 स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 3. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जावे। 4. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 5. पर्यावरण व प्रदूषण विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।

8.	81.8	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या एस–1, एस–2, गीजगढ हाउस, हवा सडक, जयपुर में प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

3/8/09

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति(बीपी),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 81 वीं बैठक दिनांक 30.07.2009 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री ललित कुमार गुप्ता, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
3.	श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर	सदस्य
4.	श्री नारायण लाल मीणा, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
5.	श्री आर. के. पारीक अति. आयुक्त (एलपीसी), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
6.	श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं बीआरटीएस), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
7.	श्रीमती सीमा सिंह, अति. आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
8.	श्रीमति लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा,जयपुर	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :–

1. श्री महेन्द्र सिंह राठौड, उपायुक्त जोन–1, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री अजय असवाल, उपायुक्त जोन–10, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री पुरूषोत्तम शर्मा उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक, बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।

3/8/09

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा / स.स. / बीपीसी / 2009 / डी– 1139 दिनांक : 03/8/09

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त, पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन–............, जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

3/8/09

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बीपी)